FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं S.D.O. मुकाम बायतु

नेनू देवी बनाम सांवलाराम वगैरा

किस्म मुकदमा रा० अधि० 111,128 RLRAct नं. 219/21 सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27/07/2021	~~प्रार्थी~~/वादी/अपीलांट के वकील श्री किशनाराम ने यह ~~प्रार्थना पत्र~~/वाद/अपील धारा 111, 128 RLRAct राजस्थान काश्तकारी/भू ~~राजस्व अधिनियम~~ के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। ~~विप्रार्थी~~ /प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 24/08/2021 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
24/08/2021	प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगणों के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्य में व्यस्त होने से मिसल इलतवा होकर आगामी दिनांक 14/09/2021 को पेश हो। [signature]	
14/09/21	प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण [illegible] जरिये तामील अनुपस्थित जिनके विरुद्ध [illegible] कार्यवाही अमल में लाई जा[illegible] प्रत. [illegible] बहस पत्रावली दिनांक [illegible] हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.10 18:08:43 IST
Reason: SelfAttested

क्रमांक / वाद / 202
राजस्व आवेदन संख्या

27/09/21

प्रार्थी वकील उपस्थित / विपक्षीगण अनुपस्थित।
प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई
प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया कि प्रार्थी व विपक्षी-
गणों के खातेदारी खेत पास-पास आये हुए हैं। प्रार्थी
व विपक्षीगणों के खेतों के मध्य जो पुरानी मेड़ व
डोले आये हुए थे जो वर्तमान में आदमियों की वजह
से बिखर गये हैं। जिससे प्रार्थी को अपने खेत के
सेढो का सही ज्ञान नहीं हो पा रहा है जिससे प्रार्थी
व विपक्षीगणों के मध्य खेत के सेढो को लेकर हमेशा
तनाजा बना रहता है। प्रार्थी को अपने खेत के सेढो
का सही ज्ञान करने हेतु नेपमबन्दी करवानी आवश्यक
है इसलिए प्रार्थी का नेपमबन्दी आवेदन स्वीकार किया
जाकर नेपमबन्दी आदेश किया जावें।

अत: प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर
प्रार्थी का नेपमबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर
तहसीलदार बायतु को कमिश्नर व सम्बन्धित भू-अभिलेख
निरीक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर
आदेश किया जाता है कि आप स्वयं या सहायक
कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की
नेपमबन्दी मौके पर कमिश्नर रिपोर्ट जमा करावें
करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली
हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो,
दाखिल दफ्तर हो।

(SDO) बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.10 18:08:43 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / वाद / 2021 / 1190

दिनांकः– 27/09/2021

राजस्व आवेदन संख्या – 219 / 2021

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. नेनू देवी पत्नी तुलछाराम वगैरा जाति जाट, निवासी कोसरिया पटवार मण्डल कोसरिया तहसील बायतु(बाड़मेर)		1. सांवलाराम पुत्र लुम्भाराम वगैरा जाति जाट, नि. कोसरिया पटवार मण्डल कोसरिया तहसील बायतु(बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा –कोसरिया, पटवार मण्डल – कोसरिया, तहसील – बायतु, जिला– बाड़मेर के खेत खसरा नं. 129, 130, 459.97, 459 / 97, 469 / 130 रकबा क्रमशः 0.0728, 4.5951 ,1.1811 ,1.1811 ,0.0971 हैक्टयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशन नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमिशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेंतो की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनीर शुल्क 500 / – जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

सहायक कलक्टर बायतु

उपखण्ड अधिकारी बायतु
सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.10 18:08:43 IST
Reason: SelfAttested

क्रमांक / वाद / 2021 / 1191-1195

दिनांकः– 27/09/2021

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का कोसरिया को भेजकर लेख है कि निश्चित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री नेनू देवी पत्नी तुलछाराम वगैरा. सं.3
4. विप्रार्थी श्री सांवलाराम पुत्र लुम्भाराम वगैरा. सं.28
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु

उपखण्ड अधिकारी बायतु
सहायक कलक्टर (SDO) बायतु